तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज केसूराम विश्नोई बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 07/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी केसुराम विश्नोई पुत्र पुनाराम पता गांव मोटानिया नगर पोस्ट मतौड़ा, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.11.17 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत मोटानिया नगर तह. औसिया जोधपुर के दिनांक 01.01.2016 से सूचना देने की दिनांक तक ग्राम पंचायत मोटानिया नगर में कुल कितने ओ.बी.सी. जाति प्रमाण पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्र बनाये गये है की सभी पूर्ण पत्रवाली कवर से सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार औसियां) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 5136 दिनांक 21.11.17 सूचना बाबत् सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार औसियां) से जरिये पत्रांक 186 दिनांक 30.01.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना की मांग इतनी अधिक है कि सूचना तैयार कर दिये जाने की स्थिति में कार्यालय के संसाधनों का विचलन अवश्यमभावी है अतः ऐसी सूचना धारा 7(9) के तहत दिया जाना बाध्यकारी नहीं है। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलनाया कि सूचना मूलतः तृतीय पक्षकारों से संबंधित है इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) प एव 11(1) के आलोक में तृतीय पक्षकार को सूने बिना उसकी निजी सूचना किसी भी सूरत में प्रदान किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक/भू.अ./2017/5134 दिनांक 21.11.17 जरिये सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे जरिये पत्रांक 5134 दिनांक 21.11.17 सूचित किया गया, उस बाबत् अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। द्वितीयत् उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट पर अपील में स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने से निरस्त योग्य है, जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	